उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

देवेन्द्र सिंह आदि बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

नं. प्रकरण 136/22 (प्र.) 1/01/2023

29/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण (P) पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/11/25 को पेश हो।
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण (P) पत्रावली के बाद [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/11/25 को पेश हो।
28/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण (P) कार्य समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/12/25 को पेश हो।
3/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण (P) पत्रावली आदेश हेतु पेश। पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। अतः प्रार्थीगण का [illegible] तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया गया। यदि पत्रावली मिसल मय वापस तहसीलदार को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार [?] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.08 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र / 181 / 2023

01. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. भोजा पुत्री दल्लू उम्र 85 वर्ष
02. प्रहलाद पुत्र स्व. दूदा उम्र 65 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–
01. श्री बनवारीलाल बरवड़, वकील प्रार्थी की ओर से

–ःआदेशः–

दिनांक– 03.12.2025

वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कब्जे, खाते की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा सं. 132 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं. 133 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम जेरठी तहसील व जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, जिसके नवीन खसरा सं. 266 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 267 रकबा 2.7700 हेक्टेयर वाके ग्राम जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये है। प्रार्थीगण के पूर्वजों की भूमियों में खातेदारी इस प्रकार से दर्ज रही है कि "भोजा वल्द मन्ना हिस्सा 1 आना, पोखर हरदेवा पिता लादू 1 आना रता वल्द श्यामलाल हिस्सा 2 आना, गणेशा वल्द बिन्जा हिस्सा 2 आना, दौला व नन्दा पिता गोपाल हिस्सा 2 आना, पीथा व गोविन्दा पिता मोती हिस्सा 2 आना देवा वल्द जोधा हिस्सा 2 आना, काना वल्द गीदा हिस्सा 2 आना, हरदेवा वल्द श्योबक्स हिस्सा 1 आना, हँमा, चुना, नानगा पिता सरूपा हिस्सा 1 आना कोम जाटान साकिन देह जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014, 2018 से 2021, सम्वत 2022 से 2025 से लगातार प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम जमाबंदी में कहीं देवा वल्द जोधा तथा कहीं देवा वल्द गीदा दर्ज रहा है। परन्तु प्रार्थी सं. 1 की दादी का सही व वास्तविक नाम दल्लू पुत्री जोधा था, जिसको गलत रूप से देवा पुत्र गीदा, देवा पुत्र जोधा अंकित कर रखा है तथा वर्तमान जमाबंदी में दल्लू पुत्री जोधा के स्थान पर देवा पुत्र गीदा अंकित कर रखा है, जो कोई नहीं है [illegible] पूर्व प्रार्थी सं. 1 के पूर्वज काना वल्द गीदा को भी अलग–अलग नामों से सम[illegible]त [illegible]या गया है तथा सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान उसका हिस्सा काना वल्द गीदा का [illegible] खाते से हटा दिया गया है। ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारी व [illegible] रिकार्ड में हेरा–फेरी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण [illegible] राजस्व रिकार्ड के बारे में कोई जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.08 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं थी। प्रार्थीगण सन् 2009 से लगातार रिकार्ड प्राप्त हुआ, उसमें अधूरा रिकार्ड प्राप्त हुआ तथा सम्वत् 2016 में और रिकार्ड प्राप्त किया, रिकार्ड प्राप्त करने पर खाते में गलत नाम अंकित होने की जानकारी हुई। जब पटवारी हल्का से नकल ली गई, तो उसमें प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम सही नाम नहीं आने के कारण व खाते से नाम हटाया जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अन्य सहखातेदारों को खाता दुरूस्ती के लिए कहा तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर देने के कारण प्रार्थीगण यथाशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण सेटलमेंट से पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014 के अनुसार देवा वल्द जोधा को गलत रूप से आगे अन्य जमाबंदी में सेटलमेंट के बाद व नवीन जमाबंदी के अनुसार देवा वल्द गीदा के स्थान पर दल्लू पुत्री जोधा हिस्सा 2 आना तथा काना वल्द गोदा के स्थान पर काना वल्द गीदा हिस्सा 2 आना उपरोक्त जमाबंदी के अनुसार नवीन जमाबंदी में खाता दुरुस्त किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। (4–क) राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2011 में खातेदार का नाम देवा वल्द जोधा जाति जाट व 2018 से 2021 में देवा वल्द जोधा, 2022–2025 में देवा वल्द जोधा हि. 2 आना, 2034–2037 में देवा पुत्र गीदा हि. 2 आना दर्ज है। वर्तमान में जमाबंदी में देवा वल्द गीदा हि. 1/8 हिस्सा दर्ज है। जबकि देवा वल्द गीदा का सही नाम दल्लु पुत्री जोधा है। उक्त खसरे में जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014 में काना वल्द गीदा जाति जाट हि. 2 आना दर्ज चला आ रहा था, लेकिन जमाबंदी 2015–2018 में जमाबंदी बनते समय रतना पुत्र श्यामा हि. 1/8 दर्ज है, जो कि कोई नहीं है। इसलिए रतना पुत्र श्यामा जाति जाट हि. 1/8 हिस्सा सही नाम काना वल्द गीदा जाति जाट के वारिस प्रहलाद पुत्र दूदा जाति जाट हि. 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, जिस पर मौके पर प्रहलाद पुत्र दूदा है। वर्तमान रिकार्ड में 2026–29 में काना का नाम सहवन में नहीं होने एवं देवा वल्द गीदा रिकार्ड दर्ज है, जो अशुद्ध है। संवत 2026–2029 की जमाबंदी में काना वल्द गीदा का नाम सहवन से लेखनी त्रुटिवश लिखने में नहीं आया। वर्तमान खातेदार की मृत्यु होने पर प्रहलाद पुत्र दूदा काबिज काश्त है एवं दल्लू पुत्री जोधा, जो मृत हो चुकी है। बोलचाल के रिकार्ड में देवा पुत्री जोधा था का सही नाम दल्लु पुत्री जोधा ही रहा है। दस्तावेज संलग्न है, जिसके वारिस देवेन्द्र पुत्र भोजा हिस्सा 1/16 व उमाशंकर पुत्र लादू हिस्सा 1/16 पर काबिज है। अतः खाता सं. 48 में प्रहलाद पुत्र दूदा हि. 1/8 पर काबिज काश्त व देवेन्द्र पुत्र भोला हिस्सा 1/16 व उमाशंकर पुत्र लादू हिस्सा 1/16 पर काबिज काश्त है। काना वल्द गीदा के नाम के स्थान पर रतना पुत्र श्यामा दर्ज है, जो कि कोई नहीं है। इसलिए रतना पुत्र श्यामा के स्थान पर प्रहलाद पुत्र दूदा दर्ज करना भी उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। आवेदन माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित कृषि भूमि, जिसके पुराने खसरा सं. 132 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं. 133 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम जेरठी तहसील व जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, जिसके नवीन खसरा सं. 266 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 267 रकबा 2.7700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8400 हेक्टेयर वाके ग्राम जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर वाद के पैरा सं. 4 के अनुसार देवा वल्द गीदा के स्थान पर दल्लू पुत्री जोधा हिस्सा 2 आना तथा काना वल्द गोदा के स्थान पर काना वल्द गीदा हिस्सा 2 आना उपरोक्त जमाबंदी के अनुसार एवं मद सं. (4–[illegible] अनुसार व नवीन जमाबंदी में खाता दुरूस्त किया जावें।''

प्रार्थीगण की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में प्रार्थी सं. 1 (देवेन्द्रसिंह), प्रार्थी सं. 2 (प्रहलाद) तथा एक अन्य उमाशंकर पुत्र [illegible] से अलग–अलग साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.08 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को जवाब/दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/2703 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पेश हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर पुनः सुस्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/3384 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनों रिपोर्ट्स का अवलोकन वकील प्रार्थीगण ने कर उक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट्स के प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियां, उपलब्ध दस्तावेजात आदि तथा तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स मय पटवार हल्का रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा सं. 266 व 267 वाके ग्राम जेरठी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी में दर्ज कुल दो प्रविष्टियों (देवा पुत्र गीदा हिस्सा 1/8 जाति जाट तथा रतना पुत्र श्यामा हिस्सा 1/8 जाति जाट) के संबंध में प्रार्थीगण ने दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। उक्त के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार की वर्णित उक्त दोनों रिपोर्ट्स आदि का भी अवलोकन किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया है कि "राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2011 में खातेदार का नाम देवा वल्द जोधा जाति जाट व संवत् 2018–2021 में देवा वल्द जोधा, संवत् 2022–2025 में देवा वल्द जोधा, संवत् 2026–2029 में देवा वल्द जोधा, संवत् 2020–2023 में देवा वल्द जोधा, संवत् 2022–2025 में देवा वल्द जोधा हि 2 आना, संवत् 2034–2037 देवा पुत्र गीदा हि. 2 आना दर्ज है। वर्तमान में जमाबन्दी में देवा वल्द गीदा हि. 1/8 हिस्सा दर्ज है। जबकि देवा वल्द गीदा का सही नाम दल्लु पुत्री जोधा है। उक्त खसरे में जमाबन्दी संवत् 2011–2014 में काना वल्द गीदा जाति जाट हि. 2 आना दर्ज चला आ रहा था, लेकिन जमाबन्दी संवत 2015–2018 में जमाबंदी बनते समय सहवन से त्रुटिवश नाम हट गया, जिसके स्थान पर मौजूदा जमाबन्दी में रतना पुत्र श्यामा हि. 1/8 दर्ज है जो कि कोई नहीं है। इसलिए रतना पुत्र श्यामा जाति जाट हि. 1/8 हिस्सा सही नाम काना वल्द गीदा जाति जाट के वारिस प्रहलाद पुत्र दूदा जाति जाट हि. 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जिस पर मौके पर प्रहलाद पुत्र दूदा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2026–2029 में काना का नाम सही नहीं होने एवं देवा वल्द गीदा रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। फर्क मौका बनाकर मौजूद व्यक्तियों एवं परिवार वासियों से एवं मौका कब्जा काश्त अनुसार जांच की गई, जिसमें साबित हुआ कि संवत् 2026–2029 की जमाबन्दी में काना वल्द गीदा का नाम सहवन से लेखनी त्रुटिवश लिखने में नहीं आया। वर्तमान खातेदार की मृत्यु होने पर प्रहलाद पुत्र दूदा काबिज काश्त है एवं दल्लू पुत्री जोधा, जो फौत हो चुकी है। बोलचाल के रिकॉर्ड में देवा पुत्री जोधा था, का सही नाम दल्लू पुत्री जोधा ही रहा है (दस्तावेज संलग्न), जिसके वारिसान देवेन्द्र पुत्र भोमा हि. 1/16 व उमाशंकर पुत्र लादू हि. 1/16 पर काबिज है। अ... सं. 48 में प्रहलाद पुत्र दूदा हि. 1/8 पर काबिज काश्त व देवेन्द्र पुत्र भोमा हि. 1/16 व उमाशंकर पुत्र लादू हि. 1/16 पर काबिज काश्त है। काना वल्द गीदा के नाम के स्थान पर रतना पुत्र श्यामा दर्ज है, जो कि कोई नहीं है। इसलिए रतना पुत्र श्यामा के स्थान पर प्रहलाद पुत्र दूदा दर्ज करना न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.08 12:04:44 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

संगत प्रतीत होता है।" उक्त रिपोर्ट के साथ–साथ प्रकरण के निस्तारण के सुगमता हेतु उक्त दोनों अशुद्ध प्रविष्टियों के संबंध में निम्न प्रकार से खातेदारी बाबत संरचना भी पेश की है–

देवा पुत्र गीदा हि. 1/8 जाति जाट
(वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज)
सही प्रविष्टि– (दल्लू पुत्री जोधा जाति जाट)

↓ लादू पुत्र मोती → उमाशंकर पुत्र लादू (पुत्र)
↓ भोजा पुत्र मोती → देवेन्द्र पुत्र भोजा (पुत्र)

रतना पुत्र श्यामा हि. 1/8 जाति जाट
(वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज)
सही प्रविष्टि–(काना पुत्र गीदा जाति जाट)

↓ जैसा पुत्र काना (नाऔलाद फौत)
↓ दूदा पुत्र काना → प्रहलाद पुत्र दूदा (पुत्र)

उक्तानुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट्स मय दस्तावेजात आदि के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड मय दस्तावेजात आदि के गहन अवलोकन के बाद यह तथ्य सामने आये है कि प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा जो रिकॉर्ड दुरूस्ती चाही है। उसी अनुरूप तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त दोनों रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है। अतः उक्तानुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अ. धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/2703 दिनांक 17.09.2024 व पत्रांकः भू.अ./24/3384 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि खसरा सं. 266 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 267 रकबा 2.7700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8400 हेक्टेयर वाके ग्राम जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियां (1) देवा पुत्र गीदा हि. 1/8 जाति जाट के स्थान पर उक्त खातेदारी की प्रविष्टि उमा शंकर पुत्र लादू राम हिस्सा 1/16 जाति जाट व देवेन्द्र सिंह पुत्र भोजाराम हिस्सा 1/16 जाति जाट दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा दर्ज प्रविष्टि (2) रतना पुत्री जोधा हि. 1/8 जाति जाट के स्थान पर उक्त खातेदारी की प्रविष्टि प्रहलाद राय पुत्र दूदा राम हिस्सा 1/8 जाति जाट दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट्स मय संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.08 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner